न्यायालय सिविल जज (क0प्र), अतरौली, अलीगढ।

नियमित प्रकीर्ण वाद संख्या–17/10

गोमा देवी वनाम रामस्वरुप आदि

14–09–2018 निस्तारण प्रार्थना पत्र–24क

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित है। प्रार्थना पत्र–24क मय शपथ पत्र–25ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी द्वारा उक्त वाद में प्रा0प0 13क वास्ते संशोधन व प्रतिष्ठापन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रा0प0–13क का जवाव 15ग2 विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संशोधन प्रा0प0 13क के पृष्ठ सं0–2 मे प्रस्तावित संशोधन के पैरा–1 में सहवन त्रुटिवश प्रकीर्ण वाद के स्थान पर वाद पत्र अंकित हो गया है जिससे संशोधित किया जाना वांछित है। अतएव प्रार्थना पत्र–13क में वांछित संशोधन की अनुमति प्रदान करने की याचना की गई है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र को काल बाधित होना कहा गया है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र 24क प्रकीर्ण वाद में उपलब्ध प्रार्थना पत्र–13क के पृष्ठ सं0–2 में सहवन त्रुटिवश प्रकीर्ण वाद के स्थान पर वाद पत्र अंकित होना कहा है जिससे संशोधित करने की याचना की गई है । प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र को काल बाधित कहा गया है किन्तु लिखित में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है । प्रार्थना पत्र के विलम्व से प्रस्तुत करने को क्षति पूर्ति से पूरा किया जा सकता है। वांछित संशोधन से वाद की प्रकृति नही बदलती है। वाद के गुण दोष पर निस्तारण हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र न्याय हित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र–24 क वास्ते संशोधन मु0 200/–रु0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अधिरोपित हर्जा नियत दिनॉक तक अदा किया जावे। वादी पक्ष अग्रिम नियत दिनॉक तक वांछित संशोधन कर नियमानुसार करें । पत्रावली प्रार्थना पत्र–113क की सुनवाई हेतु दिनॉक को पेश हो।

सिविल जज (क0प्र), अतरौली,

14–09–2018 अलीगढ।